

**राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र**

**मामला क्रमांक-202504243100041 / अ-62 वर्ष 2024-25**

प्रकरण आदेशार्थ नियत।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक मेंवमचार्य पटेल पिता श्री राधेश्याम पटेल साकिन खर्रा तहसील गुरुर जिला बालोद के द्वारा ग्राम खर्रा स्थित खसरा नंबर 253 का टु में बबूल का झाड़ है, जो विद्युत तार से जुड़ा है। जिससे कभी भी अज्ञात घटना हो सकती है। उक्त उक्त बबूल झाड़ को कटवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज किया गया तथा मौका निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन मय प्रतिवेदन पटवारी से लिया गया।

पटवारी के प्रतिवेदनानुसार ग्राम खर्रा पहनं 23 तहसील गुरुर में गांव की प्रचलित आबादी भूमि खसरा नंबर 353/2 रकबा 1.00 हे. का टु. है, जो कि मेंवमचार्य पिता राधेश्याम के नाम पर है। उक्त खाली प्लाट पर दो बबूल के परिपक्व वृक्ष लगे हुए हैं, प्लाट से बिजली का तार गुजरा है। जिससे हवा तुफान में दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है तथा एक पेड़ झुका हुआ, जिसका भविष्य में टूट कर गिर जाने की संभावना बनी हुई है।

प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन का परिशीलन किया। प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए एवं समग्र जनहित में ग्राम खर्रा पहनं 23 स्थित खसरा नंबर 353/2 रकबा 1.00 हे. का टु. स्थित बबूल प्रजाति 02 वृक्ष के विदोहन की अनुमति छ0ग0 भू-राजस्व संहिता की धारा 240-241 में बने प्रावधानों के तहत निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है-

01. वृक्ष की कटाई ग्राम पंचायत खर्रा के द्वारा किया जावे, तथा इस दौरान सक्षम अधिकारी/कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहेंगे।

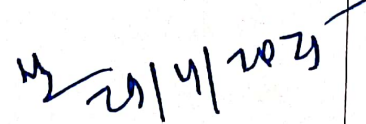
02. काष्ठ की नीलामी सरपंच ग्राम पंचायत खर्चा द्वारा विधिवत कराया जाकर प्राप्त धन राशि राजस्व मद में जमा कराया जावे।

03. वृक्ष कटाई में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ग्राम पंचायत खर्चा के द्वारा की जावेगी।

04. किसी प्रकार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आदेश स्वमेय निरस्त मानी जावेगी।

आदेश की प्रति सर्वसंबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी किया गया।

  
अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.) गुरुर जिला बालोद

प्रतिलिपि:-

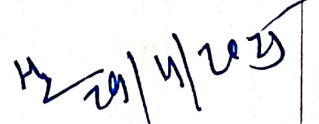
01. तहसीलदार गुरुर को सूचनार्थ।

02. वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र गुरुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

03. सरपंच ग्राम पंचायत खर्चा वि.ख. गुरुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

04. पटवारी, पहनं 0 23 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

05. आवेदक मेंवमचार्य पटेल पिता श्री राधेश्याम पटेल साकिन खर्चा तहसील गुरुर को सूचनार्थ।

  
अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.) गुरुर जिला बालोद